

पत्रांक...702/

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर ।

प्रेषक ,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमंडल ।

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक (संचरण परियोजना),
संचरण अंचल, डालटनगंज ।

मेदिनीनगर, दिनांक...25.02.2019./

विषय:- JUSNL द्वारा गढ़वा से जपला तक 132 के0बी0 D/C ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में 20.50 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंग:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का ज्ञापांक 507 दिनांक 14.02.2019
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू द्वारा JUSNL द्वारा गढ़वा से जपला तक 132 के0बी0 D/C ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में 20.50 हे0 वन भूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव में आपके द्वारा राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम-डंडिला, प्रखण्ड-हुसैनाबाद में अवस्थित प्लॉट संख्या-90, रकबा-0.81 हे0 जंगल-झाड़ी भूमि को भी वन भूमि के रूप में दर्शाने के कारण वापस किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त त्रुटि का निराकरण कर शीघ्र संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके ।

विश्वासभोजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मेदिनीनगर वन प्रमंडल ।

25/02/19